

फाइनेंस

बोल्ट

Hindi version of Finance Bolt



सभी - IBPS, SSC, SBI, RAILWAYS & RBI आदि परीक्षाओं की एक ही
स्थान पर तैयारी के लिए [यहाँ क्लिक करें।](#)

बोल्ट, ऑलिवबोर्ड की तरफ से त्वरित पुनरावलोकन के लिए सामान्य सूचनाओं
के मासिक सारांश को प्रस्तुत करती ई-बुक है!!

Table of Contents

भारतीय वित्तीय प्रणाली	3
केंद्रीय बजट	5
सरकारी घाटे के उपाय	6
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम	7
वस्तु एवं सेवा कर (GST)	8
वित्तीय बाज़ार	8
भारतीय वित्तीय बाज़ार: मुद्रा बाज़ार	9
मुद्रा बाजार साधन-	10
भारतीय वित्तीय बाज़ार: पूँजी बाज़ार	13
शेयर बाज़ार (Stock Exchange)	14
व्युत्पन्न व्यापार (Derivatives)	14
व्यापार और निपटान प्रक्रिया	16
निक्षेपागार (Depository)	16
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)	17
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और इसके कार्य	19
मौद्रिक नीति	20
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (NBFC) और उनके प्रकार	22
वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन)	23
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	25
कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शब्द	26
विभिन्न वित्तीय संस्थान: तथ्य	31

वित्तीय प्रणाली क्या है?

वित्तीय प्रणाली शब्द कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करने वाली अन्तर-सम्बन्धित क्रियाकलापों/सेवाओं का एक समूह है। इसमें विभिन्न बाजार, संस्थान, उपकरण, सेवाएँ और क्रियाविधि शामिल हैं, जो बचत उत्पादन, निवेश पूँजी निर्माण और वृद्धि को प्रभावित करते हैं।

- वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य "अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और क्रियाकलापों को उन तरीकों से धन की आपूर्ति करना है, जो कीमत स्तर में परिवर्तन या व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप संसाधनों के पूर्ण संभव उपयोग को बढ़ावा देते हैं।"
- वित्तीय प्रणाली को वित्तीय सेवाओं के उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं में भी विभाजित किया जाता है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली

भारतीय वित्तीय प्रणाली को सामान्यतः दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: i) संगठित क्षेत्र और (ii) असंगठित क्षेत्र।

संगठित वित्तीय प्रणाली:

इसमें निम्नलिखित उप-प्रणालियाँ शामिल हैं:

- बैंकिंग प्रणाली
- सहकारी व्यवस्था
- विकास बैंकिंग प्रणाली
 - सार्वजनिक क्षेत्र
 - निजी क्षेत्र
- मुद्रा बाज़ार
- वित्तीय कम्पनियाँ/ संस्थान।

असंगठित वित्तीय प्रणाली:

- इसमें अपेक्षाकृत कम नियंत्रित साहूकार, स्वदेशी बैंकर, रेहन (बंधक) रखकर उधार देने वाले दलाल, जमींदार, व्यापारी आदि शामिल हैं।
- वित्तीय प्रणाली का यह भाग भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है।
- वित्तीय कम्पनियाँ, निवेश कम्पनियाँ, चिट फंड आदि की एक मेज़बानी, जिसका व्यवस्थित तरीके से रिज़र्व बैंक या सरकार द्वारा विनियमन नहीं होता है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली: प्रमुख घटक

- वित्तीय संस्थाएँ
 - बैंकिंग संस्थान

- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान
- वित्तीय बाज़ार
 - मुद्रा बाज़ार
 - पूँजी बाज़ार
- वित्तीय साधन/परिसंपत्ति/प्रतिभूति
 - नकद साधन
 - व्युत्पन्न साधन
- वित्तीय सेवाएँ
 - बैंकिंग
 - धन प्रबंधन
 - म्यूचुअल फण्ड
 - बीमा

सार्वजनिक वित्त

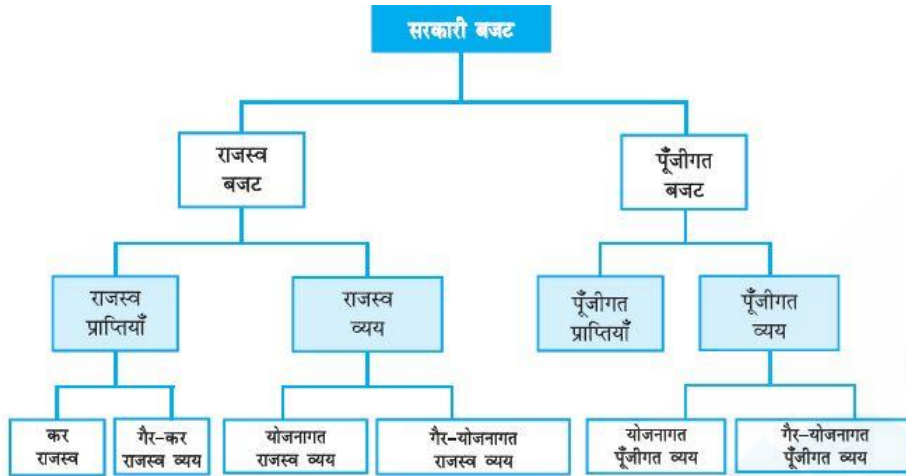
सार्वजनिक वित्त विभिन्न सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों के माध्यम से देश के राजस्व, व्यय और ऋण भार का प्रबंधन है।

सार्वजनिक वित्त के घटक हैं-

- कर संग्रह
- बजट
- व्यय
- घाटा/अधिशेष
- राष्ट्रीय ऋण

केंद्रीय बजट

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 112** के अनुसार, वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्त का लेखा-जोखा रखता है।



चार्ट 1: सरकारी बजट के घटक

केंद्रीय बजट को **राजस्व बजट** और **पूँजीगत बजट** में वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व खाता

- राजस्व बजट सरकार की वर्तमान प्राप्तियों और इन प्राप्तियों से मिलने वाले व्यय को दर्शाता है।
- राजस्व प्राप्तियाँ: राजस्व प्राप्तियाँ **कर** और **गैर-कर राजस्व** में विभाजित किया जाता है।
- कर राजस्व में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों की आय शामिल होती है।
- अन्य राजस्व सरकार की प्राप्तियाँ हैं, जिनमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश शामिल किए जाते हैं तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए शुल्क और प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

राजस्व व्यय

- राजस्व व्यय में सरकार के उन सभी व्ययों को शामिल किया जाता है जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है।
- यह सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान तथा राज्य सरकारों और अन्य पक्षों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए किए गए व्यय से सम्बन्धित है।

बजट दस्तावेज़ में कुल राजस्व व्यय को **योजना** और **गैर-योजना व्यय** में वर्गीकृत किया जाता है।

- योजना राजस्व व्यय केंद्रीय योजनाओं (पंचवर्षीय योजनाओं) और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रीय सहायता से सम्बन्धित है।

- गैर-योजना व्यय, राजस्व व्यय का अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जो सरकार की सामान्य, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के एक विशाल वर्ग को शामिल करता है।
- गैर-योजना व्यय की मुख्य मदें ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएँ, सब्सिडी, वेतन और पेंशन हैं।
- बाज़ार ऋणों, बाहरी ऋणों और विभिन्न आरक्षित कोषों से ब्याज भुगतान गैर-योजना राजस्व व्यय का एकमात्र सबसे बड़ा घटक है।

पूँजीगत खाता

- पूँजीगत बजट, केंद्र सरकार की देनदारियों के साथ-साथ परिसंपत्तियों का भी लेखा-जोखा होता है, जो पूँजी में बदलाव पर विचार करता है।
- इसमें सरकार की पूँजीगत प्राप्तियाँ और पूँजीगत व्यय शामिल हैं।

पूँजीगत प्राप्तियाँ:

- पूँजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें जनता द्वारा सरकार से लिए गए ऋण हैं जिन्हें बाज़ार ऋण कहा जाता है। इसमें सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोषीय निधियों की बिक्री के माध्यम से, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण तथा केंद्र सरकार द्वारा की गई ऋणों की प्राप्तियाँ शामिल हैं।
- अन्य मदों में छोटी बचत (डाक घर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत पत्र, आदि), भविष्य निधि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में शेयरों की बिक्री से प्राप्त सकल प्राप्तियाँ शामिल हैं।

पूँजीगत व्यय:

- इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, कल-पुर्ज, उपकरण, शेयरों में निवेश पर व्यय तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पक्षों को किया गया अग्रिम भुगतान शामिल है।

पूँजीगत व्यय को बजट दस्तावेज़ों में **योजना** और **गैर-योजना** के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है।

- योजनागत व्यय, अपने राजस्व प्रतिरूप की तरह, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय योजना और केंद्रीय सहायता से सम्बन्धित है।
- गैर-योजना पूँजीगत व्यय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को शामिल करता है।

सरकारी घाटे के उपाय

जब सरकार राजस्व के माध्यम से एकत्रित किए गए से अधिक व्यय करती है, तब वह बजट घाटा कहलाता है।

- राजस्व घाटा: राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है।
 - राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ
- राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार लेने को छोड़कर इसकी कुल प्राप्तियों के मध्य का अंतर है।

➤ सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्ति + गैर-ऋण से निर्मित पूँजीगत प्राप्तियाँ)

- गैर-ऋण से निर्मित पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिए, वह ऋण नहीं बढ़ाती हैं।
- ऋण की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से हुई आय इसके उदाहरण हैं। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होता है। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।

➤ वित्तीय रूप से, सकल राजकोषीय घाटा = घर पर सकल उधारी + रिज़र्व बैंक से उधारी + विदेश से उधारी

- घर पर सकल उधारी में प्रत्यक्ष रूप से ऋण साधनों के माध्यम से लोगों से उधारी (उदाहरण के लिए, विभिन्न छोटी बचत योजनाएँ) और अप्रत्यक्ष रूप से वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों से उधारी शामिल है।
- प्राथमिक घाटा: यह सामान्यतः राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकालने के बाद बचता है।

➤ सकल प्राथमिक घाटा = सकल राजकोषीय घाटा - निवल ब्याज देनदारियाँ

- निवल ब्याज देनदारियों में ब्याज भुगतान में से सरकार द्वारा निवल घरेलू ऋण को निकालने के बाद शेष भाग शामिल है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) 2003 में एक अधिनियम बन गया।
- अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत सहभागिता, दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के मध्य बेहतर समन्वय तथा सरकार के राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- FRBM अधिनियम राजकोषीय समेकन के लिए एक वैधानिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। अब राजकोषीय घाटे को कम करना, राजस्व घाटे को खत्म करना और बाद के वर्षों में राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने हेतु उपाय करना केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है।
- अधिनियम न केवल वर्तमान सरकार को बल्कि भविष्य की सरकार को भी राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है। सरकार केवल प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपवाद स्वरूप आधारों के मामले में राजकोषीय समेकन की राह को छोड़ सकती हैं, जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।
- मई 2016 में, सरकार ने FRBM अधिनियम की समीक्षा के लिए एनके सिंह के अधीन एक समिति का गठन किया। सरकार का मानना था कि लक्ष्य बहुत कठोर थे।
- FRBM अधिनियम, 2018 के अनुसार, केंद्र सरकार इसको सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी:
 - सामान्य सरकारी ऋण 60% से अधिक नहीं हो ;

➤ वित्त वर्ष 2024-'25 के अंत तक केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के 40% से अधिक नहीं हो।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

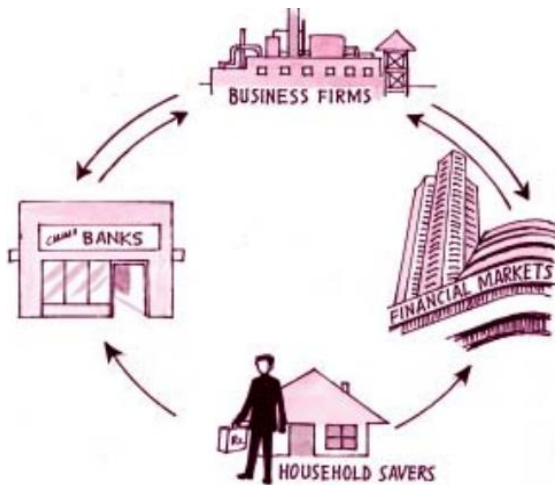
- जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है।
- संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च, 2017 को पारित किया गया था।
- यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है, जो प्रत्येक मूल्य-वर्धन पर लगाया जाता है।
- जीएसटी का सफ़र वर्ष 2000 में शुरू हुआ, जब कानून का प्रारूप बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। कानून को विकसित होने में तब से 17 वर्ष लग गए। 2017 में जीएसटी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी कानून लागू हुआ।

इस प्रणाली के अन्तर्गत 3 प्रकार के कर लागू हैं: **CGST, SGST और IGST।**

- केंद्रीय जीएसटी (**CGST**): अन्तःराज्यीय बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर (जैसे: उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लेन-देन)
- राज्य जीएसटी (**SGST**): अन्तःराज्यीय बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कर (जैसे: उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लेन-देन)
- एकीकृत राज्य जीएसटी (**IGST**): अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर (जैसे: उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड)

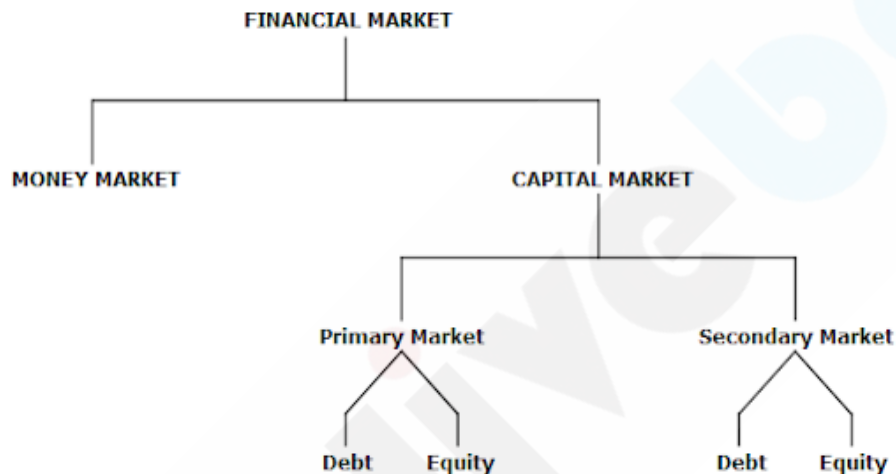
वित्तीय बाज़ार

- वित्तीय बाज़ार बचतकर्ताओं और निवेशकों को उनके मध्य कोष को एकत्रित कर जोड़ने में सहायता करता है। ऐसा निष्पादन एक आवंटन प्रकार्य के रूप में जाना जाता है।
- यह निवेश के लिए उपलब्ध कोष को उनके सबसे उत्पादक निवेश अवसर में आवंटित या निर्देशित करता है।
- वित्तीय हस्तान्तरण वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के रूप में जैसे- किसी फर्म द्वारा शेयरों और ऋण-पत्रों का प्रारंभिक निर्गम (initial issue) अथवा सहभागी शेयर, ऋण-पत्रों और बॉन्ड जैसी मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रय व विक्रय के रूप में हो सकता है।



(स्रोत: NCERT)

Classification of Finance Markets



भारतीय वित्तीय बाज़ार: मुद्रा बाज़ार

- मुद्रा बाज़ार अल्पकालिक कोष के लिए बाज़ार है, जो मौद्रिक परिसंपत्तियों में व्यापार करता है जिसकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है।
- ये परिसम्पत्तियाँ धन के आसान प्रतिस्थापक हैं।
- यह एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कम जोखिम, असुरक्षित और अल्पकालिक ऋण साधन जो अत्यधिक तरल हैं, जारी किए जाते हैं तथा प्रतिदिन सक्रिय रूप से व्यापार होता है।
- यह नकदी और दायित्वों की अस्थायी कमी तथा प्रतिफल अर्जित के लिए अतिरिक्त कोष की अस्थायी उपलब्धता को पूरा करने हेतु अल्पकालिक कोष जुटाने में सक्षम बनाता है।
- बाज़ार में प्रमुख भागीदार **भारतीय रिज़र्व बैंक, (RBI), वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियाँ, राज्य सरकारें, बड़े कॉर्पोरेट घराने और म्यूचुअल फण्ड** हैं।
- मुद्रा बाज़ार मुख्य रूप से बैंकों और संस्थाओं जैसे प्राथमिक व्यापारियों (PDs) के मध्य निधियों के ऋण और उधार लेने की सुविधा देता है।

- बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों का ऋण तथा रात भर के लिए उधारी या अपने अल्पकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोष होता है। यह उधार व ऋण असुरक्षित आधार वाला होता है।

नगर निगम बांड

- भारत में, नगर निगम बॉण्ड 1997 से अस्तित्व में हैं।
- नगर निगम बॉण्ड सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋण-दायित्व हैं, जो सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे कि विद्यालयों, अस्पतालों और राजमार्गों के निर्माण के लिए ऋण का उपयोग करते हैं।
- लगभग पाँच वर्ष पहले, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूति के निर्गमन और सूचीकरण (ILDM) के नियमन के साथ आया था। तब से सात नगर पालिकाओं ने अपनी ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके लगभग 1,400 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिन्हें सामान्यतः 'मुनि बॉण्ड' के नाम से जाना जाता है।
- सेबी ने अगस्त, 2019 में 'मुनि बॉण्ड' को स्मार्ट शहरों और अन्य पंजीकृत संस्थाओं जैसे नगरपालिकाओं को नगर नियोजन और नगरीय विकास के क्षेत्रों के कार्य में सहायता के लिए अपनी ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन और सूचीकरण के माध्यम से कोष जुटाने के लिए मानदंडों में छूट देने की घोषणा की।
- अब, सेबी ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 'स्मार्ट शहरी मिशन' के अन्तर्गत गठित विशेष प्रयोजन वाहनों सहित बड़ी संख्या में संस्थाओं के लिए इस मार्ग से अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- नए मानदंडों के अन्तर्गत, सेबी द्वारा एक निगरानी एजेंसी की नियुक्ति, व्यवहार्यता प्रमाण-पत्र या विस्तृत परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट (DPAR) दाखिल करने, एक अलग परियोजना क्रियान्वयन कक्ष की स्थापना, संसाधनों के विनिर्देश के साथ 100% परिसंपत्ति शामिल करने के रखरखाव तथा राज्य या केंद्र सरकार के अनिवार्य समर्थन जैसी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

मुद्रा बाजार साधन-

1. राजकोष लेखा-पत्र:

- राजकोष लेखा-पत्र मूल रूप से भारत सरकार द्वारा एक वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाले अल्पकालिक उधार का एक साधन है।
- उन्हें केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए शून्य कूपन बॉण्ड के रूप में भी जाना जाता है ताकि इसकी कोष की अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
- राजकोष लेखा-पत्र एक वचन-पत्र के रूप में जारी किए जाते हैं। वे अत्यधिक तरल होते हैं और प्रतिफल और बकाए के नगण्य जोखिम का आश्वासन देते हैं।
- उन्हें एक मूल्य पर जारी किया जाता है जो उनके अंकित मूल्य से कम होता है और समान मूल्य पर चुकाया जाता है। जिस मूल्य पर राजकोष लेखा-पत्र जारी किए जाते हैं और उनके प्रतिदेय मूल्य जिस पर ब्याज़ प्राप्त होता है, के मध्य के अंतर को छूट कहा जाता है।
- राजकोष लेखा-पत्र न्यूनतम 25,000 रु और उसके गुणकों में उपलब्ध होते हैं।

उदाहरण के लिए: मान लीजिए कि एक निवेशक 91 दिनों के राजकोष लेखा-पत्र को 90,000 रु के लिए 1,00,000 रु के अंकित मूल्य पर खरीदता है। परिपक्वता तिथि तक बिल रखने से, निवेशक 1,00,000 रु प्राप्त करता है। परिपक्वता पर प्राप्त आय और लेखा-पत्र की खरीद के लिए भुगतान की गई धनराशि के मध्य का अंतर 10,000 रु उसके द्वारा प्राप्त ब्याज को दर्शाता है।

2. वाणिज्यिक-प्रपत्र:

- वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक असुरक्षित वचन-पत्र होते हैं जो एक निश्चित परिपक्वता अवधि के साथ अनुमोदन और वितरण द्वारा, मोलभाव योग्य और हस्तांतरणीय होते हैं।
- यह बड़े और ऋण-पात्र कम्पनियों द्वारा बाज़ार दरों की तुलना में कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक कोष जुटाने के लिए जारी किया जाता है। प्रायः इसकी परिपक्वता अवधि 15 दिन से एक वर्ष तक होती है।
- वाणिज्यिक-पत्र जारी करना बड़ी कंपनियों के लिए बैंक उधार का एक विकल्प होता है, जिन्हें सामान्यतः आर्थिक रूप से मज़बूत माना जाता है।
- वाणिज्यिक-पत्र का मूल उद्देश्य मौसमी और कार्यशील पूँजी की ज़रूरतों के लिए अल्पकालिक कोष उपलब्ध कराना था।

3. माँग-मुद्रा:

- माँग-मुद्रा अंतर-बैंक हस्तांतरण के लिए एक दिन से पंद्रह दिनों की परिपक्वता अवधि के साथ, माँग पर चुकाने योग्य अल्पकालिक वित्त होता है।
- वाणिज्यिक बैंकों को न्यूनतम नकदी शेष बनाए रखना होता है, जिसे **नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** के रूप में जाना जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर नकद आरक्षित अनुपात में बदलाव करता रहता है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कोष को प्रभावित होता है।
- माँग-मुद्रा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बैंक एक दूसरे से उधार लेते हैं ताकि नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखा जा सके।
- माँग-मुद्रा ऋण पर भुगतान की गई ब्याज दर को माँग दर के रूप में जाना जाता है।
- यह एक अत्यधिक अस्थिर दर है जो दिन-प्रतिदिन और कभी-कभी घण्टे-दर-घण्टे बदलते रहता है।
- माँग दरों और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाज़ार साधनों जैसे कि ज़मा के प्रमाण पत्रों और वाणिज्यिक-पत्रों के मध्य एक विपरीत सम्बन्ध होता है।
- माँग मुद्रा दरों में वृद्धि बैंकों की तुलना में सस्ते वित्त के अन्य स्रोतों जैसे कि वाणिज्यिक पत्र और ज़मा के प्रमाण-पत्र इन स्रोतों से कोष जुटाते हैं।
- जहां धन 2 दिनों से 14 दिनों के मध्य की अवधि के लिए उधार या ऋण लिया गया है, उसे 'सूचित मुद्रा' के रूप में जाना जाता है। तथा 'आवधिक मुद्रा' से आशय 14 दिनों से अधिक अवधि के लिए निधियों के उधारी/ऋण से है।

4 . ज़मा प्रमाण-पत्र:

- ज़मा प्रमाण पत्र (CD) असुरक्षित, मोलभाव योग्य, धारक के रूप में अल्पकालिक साधन हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों और विकास वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं।
- बैंकों की ज़मा वृद्धि धीमी होने लेकिन ऋण के लिए माँग अधिक होने पर उन्हें व्यक्तियों, निगमों और कम्पनियों को कठोर तरलता की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है।
- वे अल्पावधि के लिए बड़ी मात्रा में धन जुटाने में सहायता करते हैं।

5. वाणिज्यिक लेखा-पत्र:

- वाणिज्यिक लेखा-पत्र व्यापारिक साझेदारों की कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त का उपयोग किया जाने वाला विनिमय लेखा-पत्र है।
- यह एक अल्पकालिक, मोलभाव योग्य, अपने में तरलीकृत साधन है, जो साझेदारों की ज़मा बिक्री को वित्त के लिए उपयोग किया जाता है।
- जब वस्तुएँ साख पर बेची जाती हैं, तब क्रेता भविष्य में एक विशिष्ट तिथि पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।
- विक्रेता विनिर्दिष्ट तिथि तक प्रतीक्षा कर सकता है या विनिमय लेखा-पत्र का उपयोग कर सकता है।
- वस्तुओं का विक्रेता (आहर्ता) लेखा-पत्र निकलता है और क्रेता (अदाकर्ता) इसे स्वीकार करता है। स्वीकार किए जाने पर, लेखा-पत्र एक विपणन साधन (marketable instrument) बन जाता है और इसे व्यापार लेखा-पत्र कहा जाता है।
- यदि लेखा -पत्र के परिपक्व होने से पहले विक्रेता को निधि की आवश्यकता होती है तब व्यापार लेखा-पत्रों को बैंक के साथ छूट दी जा सकती है। जब वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यापार लेखा-पत्र स्वीकार किया जाता है, तब उसे वाणिज्यिक लेखा-पत्र के रूप में जाना जाता है।

6. विविध-

• पुनर्क्रय अनुबन्ध (रेपो)

- पुनर्क्रय अनुबन्ध जिन्हें रेपो या उत्क्रम या रिवर्स रेपो (reverse repo) भी कहा जाता है, अल्पकालिक ऋण हैं; जिस पर क्रेता और विक्रेता बेचने और पुनर्खरीद के लिए सहमत होते हैं।
- रेपो या रिवर्स रेपो हस्तांतरण केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित पक्षों के मध्य ही किया जा सकता है और केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे कि राज्य और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, टी- लेखा पत्र, पीएसयू बॉण्ड और कॉर्पोरेट बॉण्ड के मध्य अनुमति होती है।
- वे प्रायः रात भर की उधारी के लिए उपयोग किए जाते हैं।

• बैंकर की स्वीकार्यता:

- बैंकर की स्वीकृति गैर-वित्तीय साझेदार द्वारा बनाई गई एक अल्पकालिक निवेश योजना के समान है, जो बैंक की गारंटी से समर्थित होता है।

- यह विक्रेता को एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान करने के लिए क्रेता के वचन (promise) को बताते हुए विनिमय लेखा-पत्र के समान है। तथा, बैंक गारंटी देता है कि क्रेता भविष्य की तिथि में विक्रेता को भुगतान करेगा। मज़बूत साख़ वाले साझेदार ऐसे लेखा-पत्र को भुना (निकाल) सकते हैं। इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता 30 और 180 दिनों के मध्य होती है और इन साधनों के लिए सबसे सामान्य अवधि 90 दिन होती है। कम्पनियाँ इन मोलभाव योग्य समय के प्रारूप का उपयोग आयात, निर्यात और अन्य व्यापार के वित्त पोषण के लिए करती हैं।

भारतीय वित्तीय बाज़ार: पूँजी बाज़ार

- पूँजी बाज़ार शब्द से आशय उन सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से है, जिनके माध्यम से दीर्घावधि के लिए निधियों- ऋण और इक्विटी दोनों जुटाए जाते हैं और निवेश किए जाते हैं।
- इसमें मार्गों की एक शृंखला शामिल है, जिसके माध्यम से समुदाय की बचत औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों और सामान्य रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यह अर्थव्यवस्था के वृद्धि एवं विकास के लिए इनके सबसे अधिक उत्पादक उपयोग में इन बचतों को निर्देशित करता है।
- इसमें विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक और शेयर बाज़ार शामिल हैं।
- पूँजी बाज़ार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
 - प्राथमिक बाज़ार
 - द्वितीयक बाज़ार

प्राथमिक बाज़ार

- प्राथमिक बाज़ार को नए मामलों के बाज़ार के रूप में भी जाना जाता है।
- यह पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से सम्बन्धित है।
- प्राथमिक बाज़ार का आवश्यक कार्य पहली बार प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से नए उद्यमों को स्थापित करने या विद्यमान उद्यमों का विस्तार करने के लिए बचतकर्ताओं से निवेश योग्य निधियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है।
- इस बाज़ार के निवेशकों में बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियाँ, म्यूचुअल फण्ड और व्यक्ति शामिल हैं।
- एक कम्पनी इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, ऋण-पत्र (debenture), ऋण और ज़माओं के रूप में प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से पूँजी एकत्रित कर सकती है।
- नई परियोजनाओं की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण, मौजूदा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण, विलय और अधिग्रहण आदि के लिए निधियों को एकत्रित किया जा सकता है।

द्वितीयक बाज़ार

- द्वितीयक बाज़ार को शेयर बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है।
- यह मौजूदा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के लिए एक बाज़ार है।

- यह मौजूदा निवेशकों को विनिवेश करने और नए निवेशकों को बाज़ार में प्रवेश करने में सहायता करता है। यह मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन-क्षमता भी प्रदान करता है।
- यह विनिवेश और पुनर्निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अधिक उत्पादक निवेश की ओर निधियों को संचालन करके आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है।
- सेबी द्वारा निर्धारित विनियामक ढांचे के अन्दर प्रतिभूतियों का व्यापार, निकासी और निपटान होता है। सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नति ने देश में कहीं से भी शेयर बाज़ारों में व्यापार गंतव्य (trading terminals) के माध्यम से है व्यापार सुगम बनाया है। देश में प्राथमिक बाज़ार की वृद्धि के साथ, पिछले दस वर्षों के दौरान द्वितीयक बाज़ार में भी काफी उन्नति हुई है।

शेयर बाज़ार (Stock Exchange)

- शेयर बाज़ार एक संस्था है, जो मौजूदा प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- एक बाज़ार के रूप में, शेयर बाज़ार प्रतिभूतियों (शेयर, ऋण-पत्र आदि) को धन और इसके विपरीततया विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।
- शेयर बाज़ार कम्पनियों को वित्त जुटाने, निवेशकों को निवेश की तरलता और सुरक्षा प्रदान करने तथा वैयक्तिक कम्पनियों की ऋण पात्रता बढ़ाने में सहायता करते हैं।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अनुसार शेयर बाज़ार का अर्थ, व्यवसाय की सहायता, विनियमित या नियंत्रित करने के उद्देश्य से गठित, प्रतिभूतियों में क्रय और विक्रय या समझौतों में किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है या नहीं से है।

शेयर बाज़ार के कार्य

- मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन-क्षमता प्रदान करना
- प्रतिभूति का मूल्य-निर्धारण
- हस्तांतरण की सुरक्षा
- आर्थिक वृद्धि में योगदान
- इक्विटी संस्कृति का प्रसार
- अनुमान लिए संभावना प्रदान करना

व्युत्पन्न व्यापार (Derivatives)

व्युत्पन्न साधन

व्युत्पन्न व्यापार (डेरिवेटिव) एक साधन है, जिसका मूल्य एक या एक से अधिक अंतर्निहित के मूल्य से प्राप्त होता है; जो जीस, मूल्यवान धातु, मुद्रा, बॉण्ड, भण्डार (स्टॉक), शेयर सूचकांक आदि हो सकते हैं। व्युत्पन्न साधनों के चार सबसे सामान्य उदाहरण- अग्रिम (Forwards), वायदा (future), विकल्प (Options) और विनिमय (Swaps) हैं।

अग्रिम अनुबन्ध

अग्रिम अनुबन्ध दो पक्षों के मध्य एक स्वनिर्धारित अनुबन्ध है, जहाँ निपटान आज की तिथि में तय किए गए मूल्य पर भविष्य में विशिष्ट तिथि पर लिया जाता है।

अग्रिम अनुबन्ध की मुख्य विशेषताएँ हैं-

- वे द्विपक्षीय अनुबन्ध हैं और इसलिए प्रति-पक्ष ज़ोखिम को उजागर करते हैं।
- प्रत्येक अनुबन्ध स्वनिर्धारित प्रारूपित है, तथा इसलिए यह अनुबन्ध आकार, समाप्ति तिथि और परिसंपत्ति प्रकार और गुणवत्ता के मामले में अद्वितीय है।
- अनुबन्ध का मूल्य सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है।
- समाप्ति तिथि पर संपत्ति की सुपुर्दगी के द्वारा अनुबन्ध का निपटान किया जाता है।
- यदि एक पक्ष अनुबन्ध को बदलना चाहता है, तब उसे अनिवार्य रूप से उसी प्रति पक्ष के पास जाना पड़ता है, जो एकाधिकार स्थिति में होने के कारण अपने इच्छानुसार मूल्य की नियंत्रण कर सकता है।

वायदा

वायदा एक तय मूल्य पर वायदे की सुपुर्दगी के लिए वित्तीय साधनों या भौतिक ज़िंसों को क्रय या विक्रय के लिए विनिमय व्यापार अनुबंध हैं। यह क्रेता और विक्रेता द्वारा तय मूल्य पर निर्दिष्ट वायदा महीना में वित्तीय साधन ज़िंसों की एक निर्दिष्ट मात्रा को क्रय और विक्रय के लिए एक समझौता है। व्यापार संभव बनाने के लिए, बीएसई (BSE) अनुबंध की कुछ मानकीकृत विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है।

अग्रिम अनुबंध और वायदा अनुबंध के मध्य अंतर-

आधार	वायदा (Futures)	अग्रिम (Forwards)
प्रकृति	संगठित बाज़ार द्वारा व्यापार	प्रति पक्ष पर आधारित
अनुबन्ध अवधि	मानकीकृत	स्वनिर्धारित
तरलता	अधिक तरल	कम तरल
लाभ भुगतान	लाभ भुगतान की आवश्यकता	आवश्यकता नहीं
निपटान	दैनिक भुगतान का पालन	अवधि के अंत में
निष्कर्ष	विनिमय के किसी भी सदस्य के साथ बदल सकता है।	अनुबंध केवल उसी प्रति-पक्ष के साथ बदल हो सकता है जिसके साथ इसमें प्रवेश किया गया था।

व्यापार और निपटान प्रक्रिया

- प्रतिभूतियों (securities) में व्यापार अब ऑन-लाइन, स्क्रीन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली के माध्यम से निष्पादित किया जाता है।
- प्रतिभूतियों में व्यापार दलालों के माध्यम से किया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं।
- प्रत्येक दलाल को एक कंप्यूटर टर्मिनल तक पहुँचना होता है, जो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा होता है।
- इस स्क्रीन-आधारित व्यापार में, एक सदस्य साइट पर लॉग करता है और शेयरों (कम्पनी, सदस्य, आदि) के बारे में कोई भी सूचना वह क्रय या विक्रय चाहता है तथा उसका मूल्य कंप्यूटर पर दिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर इस प्रकार डिज़ाइन किया गया होता है कि प्रति पक्ष से सुमेल आज्ञा (order) मिलने पर हस्तांतरण को पूरा किया जाता है।
- जिनका सुमेल नहीं हो पाता है, वे स्क्रीन पर बने रहते हैं और दिन के दौरान भविष्य के सुमेल के लिए खुले रहते हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निपटान प्रक्रियाओं के लिए कुछ चयनित प्रतिभूतियों में डीमैट रूप में कार्य करना अनिवार्य कर दिया है।
- भौतिक शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व को भौतिक प्रमाण पत्र (rematerialisation) में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।
- कागज़रहित शेयरों को नकदी के समान किसी अन्य खाते में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है तथा शेयरों में एकल खाते के माध्यम से सभी व्यापार का निपटान सुनिश्चित करता है।

निक्षेपागार (Depository)

- निक्षेपागार एक संगठन है, जो पंजीकृत निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से निवेशकों के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में निवेशकों के प्रतिभूतियों (शेयर, ऋण पत्र, बॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, म्यूचुअल फण्ड ईकाई आदि) रखता है। यह प्रतिभूतियों में हस्तांतरण से सम्बन्धित सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- जैसे बैंक ग्राहकों के लिए धन को सुरक्षित रखता है, वैसे ही निक्षेपागार भी बैंक के समान होता है तथा निवेशक के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियाँ रखता है। निक्षेपागार में एक प्रतिभूति खाता खोला जा सकता है, सभी शेयरों को जमा किया जा सकता है, उन्हें किसी भी समय निकाला/बेचा जा सकता है तथा निवेशक की ओर से शेयर वितरित करने या प्राप्त करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। यह एक प्रौद्योगिकी संचालित इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण प्रणाली है।
- सेबी द्वारा निक्षेपागार के लिए निर्धारित न्यूनतम निवल मूल्य 100 करोड़ रुपये है।
- वर्तमान में दो निक्षेपागार अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (भारत) लिमिटेड (CDSL) सेबी के साथ पंजीकृत हैं।

- भारत में अभी पहली और सबसे बड़ी निक्षेपागार राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) परिचालन में है। इसे IDBI, UTI और राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) के संयुक्त उपक्रम के रूप में प्रचारित किया गया है।
- सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के साथ भारत में संचालित विदेशी बैंक, राज्य वित्तीय निगम, संरक्षक, शेयर दलाल, समाशोधन संस्थान/ समाशोधन गृह, एनबीएफसी और रजिस्ट्रार से जारीकर्ता या शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता के अनुमोदन के साथ सेबी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के साथ निक्षेपागार प्रतिभागी (DP) के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। बैंकिंग सेवाओं का लाभ बैंक शाखा के माध्यम से लिया जा सकता है जबकि निक्षेपागार सेवाओं का डीपी के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है।
- ISIN (अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान संख्या) एक सुरक्षा के लिए आवंटित एक 12-अंकीय वर्णानुक्रम पहचान संख्या है (जैसे- INE383C01018)। इक्विटी पूरी तरह से भुगतान किया गया, इक्विटी-आंशिक रूप से भुगतान किया गया, एक ही जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए विभेदक मतदान/लाभांश अधिकारों के साथ इक्विटी में अलग-अलग ISIN होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति बाज़ार के क्रमबद्ध एवं स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देने और निवेशक सुरक्षा के लिए एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में 12 अप्रैल 1988 को की गई थी।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत था।
- एक अध्यादेश के माध्यम से 30 जनवरी, 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। अध्यादेश को बाद में संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के रूप में जाना जाता है।

सेबी के उद्देश्य -

1. शेयर बाज़ार और प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करने के लिए उसके व्यवस्थित कार्य-पद्धति को प्रवर्तित करना।
2. निवेशकों, विशेषकर व्यक्तिगत निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा उन्हें मार्गदर्शन और शिक्षित करना।
3. व्यापार सम्बन्धी कदाचार को रोकना तथा प्रतिभूति उद्योग द्वारा स्व-नियमन और उसके वैधानिक विनियमन के मध्य संतुलन प्राप्त करना।
4. बिचौलियों जैसे कि दलालों, व्यापारिक साहूकारों आदि द्वारा उन्हें प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने की दृष्टि से आचार संहिता और निष्पक्ष व्यवहारों को विनियमित और विकसित करना।

- सेबी के कार्य

1. विनियामक कार्य

- बाज़ार में दलालों और उप-दलालों और अन्य अदाकारों का पंजीकरण करना।
- सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फण्ड का पंजीकरण करना।
- शेयर दलाल, संभागीय विनिमय, बीमाकर्ता और व्यापारिक साहूकार एवं शेयर बाज़ार तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का विनियमन करना।
- कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन करना।
- शेयर बाज़ार और बिचौलियों का निरीक्षण, पूछताछ और आकलन करके सूचना की माँग करना।
- अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य अधिभारों को लगाना।
- प्रतिभूति अनुबन्ध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी शक्ति का प्रदर्शन और अभ्यास करना, जैसा कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

2. विकास कार्य

- प्रतिभूति बाज़ार के बिचौलियों का प्रशिक्षित करना।
- सभी बाज़ार प्रतिभागियों के लिए उपयोगी अनुसंधान और प्रकाशन सूचना का संचालन करना।
- लोचशील दृष्टिकोण को अपना कर पूँजी बाज़ारों को विकसित करने के उपाय करना।

3. सुरक्षात्मक कार्य

- धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहारों पर रोक लगाना, जैसे भ्रामक बयान देना, जोड़-तोड़ करना, मूल्य में हेरा-फेरी करना आदि।
- भेदिया व्यापार को नियंत्रित करना और ऐसी व्यवहारों के लिए दंड लगाना।
- निवेशक की सुरक्षा के लिए कदम उठाना उठाना।
- प्रतिभूति बाजार में निष्पक्ष व्यवहारों और आचार संहिता का प्रवर्तन करना।

पूँजी बाज़ार और मुद्रा बाज़ार के मध्य अन्तर:

प्रतिभागी:

- पूँजी बाज़ार में भाग लेने वालों में वित्तीय संस्थान, बैंक, निगमित इकाइयाँ, विदेशी निवेशक और आम जनता से सामान्य खुदरा निवेशक।
- मुद्रा बाज़ार में भागीदारी आरबीआई, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और वित्त कम्पनियों जैसे संस्थागत प्रतिभागियों द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत निवेशकों को हालांकि द्वितीयक मुद्रा बाज़ार में हस्तांतरण की अनुमति है, लेकिन वे सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं।

साधन:

- पूँजी बाज़ार में व्यापार करने के मुख्य साधन हैं - इक्विटी शेयर, ऋण-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र, वरीयता शेयर आदि।
- मुद्रा बाज़ार में व्यापार करने के मुख्य साधनों में- टी-लेखा पत्र, व्यापार लेखा-पत्र रिपोर्ट, वाणिज्यिक पत्र और ज़मा प्रमाण-पत्र जैसे अल्पकालिक ऋण साधन हैं।

निवेश परिव्यय:

- पूँजी बाज़ार में निवेश यानी प्रतिभूतियों के लिए आवश्यक नहीं कि एक बड़ा वित्तीय परिव्यय हो। प्रतिभूतियों की इकाइयों का मूल्य सामान्यतः कम होता है यानी 10 रुपये, 100 रुपये और आगे भी ऐसे ही। न्यूनतम व्यापारिक खेप के शेयरों के साथ होता है, जिन्हें छोटा रखा जाता है यानी 5, 50, 100 या और आगे भी ऐसे ही। यह लघु बचत वाले व्यक्तियों को इन प्रतिभूतियों की सदस्यता लेने में सहायता करता है।
- मुद्रा बाज़ार में, हस्तांतरण में बड़ी धनराशि व्यय होती है क्योंकि साधन बहुत महंगे होते हैं।

अवधि:

- पूँजी बाज़ार मध्यम और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों जैसे कि इक्विटी शेयर और ऋण-पत्र में व्यापार करता है।
- मुद्रा बाज़ार के साधनों का अधिकतम कार्यकाल एक वर्ष का होता है और एक दिन के लिए भी जारी हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और इसके कार्य**स्थापना**

- रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी।
- भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग की अनुशंसाओं पर आरबीआई की स्थापना की गई थी और इसे हिल्टन-यंग आयोग के रूप में भी जाना जाता है।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय (मुख्यालय) शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में रूप से मुम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया।
- केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है और जहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं।
- सर ओसबोर्न स्मिथ रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर थे।
- सी डी देशमुख बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे।
- आरबीआई प्रारम्भ में निजी स्वामित्व में था।
- 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से, रिज़र्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।

प्रस्तावना

रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना इसके मूल प्कार्यों के बारे में इस प्रकार वर्णन करती है:

"भारत में मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बैंक नोटों के जारी करने को विनियमित करने और सुरक्षित बनाए रखने तथा सामान्यतः अपने लाभ के लिए देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करने के लिए; तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीतिगत ढांचे की चुनौती को पूरा करने; वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"

सहायक कम्पनियाँ

पूर्णतः स्वामित्व वाली:

- भारतीय ज़मा बीमा एवं साख प्रत्याभूति निगम (DICGC)
- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)
- रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT)
- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (IFTAS)

रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्य:

- मौद्रिक प्राधिकरण
- वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक:
- विदेशी मुद्रा का प्रबंधक
- मुद्रा जारी कर्ता
- विकासात्मक भूमिका
- सरकार का बैंकर
- बैंकों का बैंकर

मौद्रिक नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का उत्तरदायित्व मौद्रिक नीति के संचालन में निहित है। यह उत्तरदायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।

मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता स्थायी वृद्धि के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

मौद्रिक नीति के अन्य उद्देश्य:

- मूल्य स्थिरता बनाए रखना
- बैंक ऋण का नियंत्रित विस्तार करना
- स्थिर निवेश को बढ़ावा देना
- वस्तु-सूची और भण्डारण पर प्रतिबंध लगाना

- दक्षता को बढ़ावा देना
- कठोरता(rigidity) को कम करना

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 केंद्र सरकार को एक अधिकार प्राप्त छः सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) गठित करने का अधिकार देता है। इसके तीन सदस्य रिज़र्व बैंक से होते हैं और समिति के अन्य तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

मौद्रिक नीति के साधन

अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के साधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:

1. मात्रात्मक साधन
2. गुणात्मक साधन

A. मात्रात्मक साधन या सामान्य उपाय

आरक्षित अनुपात

नकद आरक्षित अनुपात (CRR):

- यह बैंक ज़मा का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो बैंकों को रिज़र्व बैंक के पास रखना आवश्यक होता है। यह सकल माँग और सावधि देनदारियों (NDTL) पर आधारित होता है,
- रिज़र्व बैंक सीआरआर जितना अधिक रखेगा, मुद्रा प्रणाली में तरलता उतनी कम होगी और इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR):

- प्रत्येक वित्तीय संस्थान को अपने एनडीटीएल के किसी समय बिंदु में अपने लिए एक निश्चित मात्रा में तरल परिसंपत्ति बनाए रखनी होती है।
- ये परिसंपत्ति सरकारी प्रतिभूतियाँ, नकदी और सोना हैं। एसएलआर में परिवर्तन प्रायः निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है।
- जितना अधिक एसएलआर होगा, बैंकों को मुद्रा प्रणाली में उधार देने की अनुमति उतनी ही कम होती जाएगी और इसके विपरीत स्थिति भी सकती है।

मुक्त बाज़ार परिचालन (OMO)

मुक्त बाज़ार परिचालन मौद्रिक नीति का एक साधन है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को लोगों या बैंकों द्वारा क्रय या विक्रय किया जाता है।

नीतिगत दरें

- **बैंक दर:** बैंक दर, जिसे छूट दर के रूप में भी जाना जाता है, रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली को कोष या ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज़ दर है।

- **तरलता समायोजन सुविधा (LAF):** एक मौद्रिक नीति है जो बैंकों को पुनर्क्रय समझौतों के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है। इसमें रेपो और रिवर्स रेपो परिचालन शामिल हैं।
- **रेपो दर:** रेपो दर, वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के स्थान पर उधार देता है।
- **रिवर्स रेपो दर:** रिज़र्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।
- **सीमांत स्थायी सुविधा (MSF):** यह बैंकों के लिए एक आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से उधार लेने का एक रास्ता (खिड़की) है, जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो गई हो।

B. गुणात्मक साधन या चयनात्मक उपाय

ये साधन ऋण की गुणवत्ता या ऋण के उपयोग के लिए निर्देशित नहीं हैं। वे ऋण के विभिन्न उपयोगों के मध्य भेदभाव करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह अन्य पर किसी एक बात का पक्षधर हो सकता है।

1. लाभ आवश्यकताओं को स्थिर करना
2. उपभोक्ता ऋण विनियमन
3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण
4. ऋण पर राशन व्यवस्था करना
5. नैतिक दबाव बनाना
6. प्रत्यक्ष कार्रवाई

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (NBFC) और उनके प्रकार

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC) क्या है?

- यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक कम्पनी है, जो ऋण और अग्रिमों, शेयरों/भण्डारों/बॉण्डों/ऋण-पत्रों/प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों द्वारा एक जैसी प्रकृति के जारी किए गए पट्टा, किराये पर उठाना, बीमा व्यापार, चिट व्यवसाय के व्यापार में संलग्न होती है।
- गैर-बैंकिंग संस्थान, जो एक कम्पनी है और किसी भी योजना के अधीन जमा धनराशि प्राप्त करने या एकमुश्त या किस्तों में योगदान के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से मुख्य व्यवसाय करती है। यह भी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी)।

विभिन्न प्रकार के एनबीएफसी इस प्रकार हैं:

- परिसम्पत्ति वित्त कम्पनी (AFC)
- निवेश कम्पनी (IC)
- ऋण कम्पनी (LC)
- अवसंरचना वित्त कम्पनी (IFC)
- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण आधारभूत निवेश कम्पनी (CIC-ND-SI)

- अवसंरचना ऋण कोष: गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (IDF-NBFC)
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (NBFC-MFI)
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - कारक (NBFC-Factors)
- बंधक जमानत कम्पनियाँ (MGC)
- एनबीएफसी- गैर-परिचालित वित्तीय धारक कम्पनी (NOFHC)

वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन)

योजना आयोग (2009) के अनुसार, वित्तीय समावेशन उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला की सार्वभौमिक पहुँच को संदर्भित करता है। इनमें न केवल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं, बल्कि बीमा और इक्विटी उत्पाद जैसी अन्य वित्तीय सेवाएँ भी शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन के आयाम

- **शाखा पहुँच-** ग्रामीण जनसंख्या को अधिकतम औपचारिक वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के लिए वाणिज्यिक बैंक शाखाओं और एटीएम की पहुँच, जिसे प्रति एक लाख जनसंख्या पर बैंक शाखाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है।
- **ऋण पहुँच-** इसमें तीन उपायों का औसत लिया जाता है: प्रति एक लाख जनसंख्या पर ऋण खातों की संख्या, प्रति एक लाख जनसंख्या पर लघु उधारकर्ताओं की संख्या तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर कृषि सुधारों की संख्या।
- **जमा पहुँच-** इसे प्रति एक लाख जनसंख्या पर बचत खातों की संख्या के रूप में मापा जा सकता है, जो औपचारिक ऋण प्रणाली के उपयोग की सीमा का विश्लेषण करने में सहायता करता है।
- **बीमा पहुँच-** इसका उपयोग किसी देश के अन्दर बीमा क्षेत्र के विकास के एक संकेतक के रूप में किया जाता है तथा इसकी गणना सकल घरेलू उत्पाद के कुल बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में की जाती है।

इनमें से ऋण पहुँच देश की प्रमुख समस्या है क्योंकि अन्य दो आयामों की तुलना में अखिल भारतीय औसत ऋण पहुँच सबसे कम है।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य-

- वित्तीय समावेशन का प्रयोजन लोगों को वित्तीय सेवाएँ और उत्पाद आर्थिक मूल्यों पर पर सुरक्षित रखने में सहायता करना है। जैसे- जमा, निधि हस्तांतरण सेवाएँ, ऋण, बीमा, भुगतान सेवाएँ आदि।
- इसका उद्देश्य निर्धन लोगों की आवश्यकतों को पूरा करने के लिए उचित वित्तीय संस्थान स्थापित करना है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता का निर्माण करना और उसे बनाए रखना है ताकि कम भाग्यशाली लोगों के पास निधियों की निश्चितता हो, जिनके लिए वे संघर्ष करते हैं।
- यह विविध संस्थानों का ध्येय रखता है, जिससे वहनीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके हैं ताकि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हो, जिससे कि ग्राहकों के पास चयन के लिए बहुत सारे विकल्प हों।

- वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के मध्य वित्तीय सेवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- इसका ध्येय राष्ट्र में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय जागरूकता में सुधार करना है।
- वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना है।
- इसका प्रयोजन देश के अत्यंत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले सबसे निर्धनतम लोगों तक पहुँचने के लिए मोबाइल बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।
- वित्तीय समावेशन उपलब्ध कराने के लिए कई सरकारी एजेंसियाँ और गैर-सरकारी संगठन समर्पित हैं।
- ये एजेंसियाँ सरकार द्वारा अनुमोदित दस्तावेजों की प्राप्त कर पहुँच में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों या आदिवासी गाँवों में रहते हैं, जिन्हें पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, या मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों के बारे में सूचना नहीं है। इसलिए, वे सरकारी या निजी संस्थानों द्वारा दी जाने वाली कई सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

देश में वित्तीय समावेशी योजनाएँ: योजनाएँ

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
स्टैंड अप इण्डिया स्कीम
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
सुकन्या समृद्धि योजना
जीवन सुरक्षा बंधन योजना
अनुसूचित जातियों (SC) के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (CEGS)

भारतीय रिज़र्व बैंक: वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाए गए कदम

आधार योजनाएँ
प्रधान मंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
मुद्रा बैंक
अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए उद्यम पूँजी निधि
अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना
स्वच्छता उद्यमी योजना
हरित व्यवसाय योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

UPI (एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ)

BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण और विकास के लिए संसद के एक अधिनियम, अर्थात बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDAI Act 1999) के अधीन किया गया था।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य IRDAI अधिनियम, 1999 तथा बीमा अधिनियम, 1938 में निर्धारित किए गए हैं। IRDAI के प्रमुख उद्देश्यों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है ताकि बीमा बाज़ार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और उचित प्रीमियम के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाया जा सके।
- बीमा अधिनियम, 1938 भारत में बीमा क्षेत्र को विनियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिनियम है। यह IRDAI को उन विनियमों को तैयार करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक ढाँचा तैयार करते हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, जो बीमा व्यवसाय और कार्यों की विशिष्ट रेखाओं को विनियंत्रित करते हैं, जैसे- समुद्रीय बीमा अधिनियम, 1963 और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991.

IRDAI के उद्देश्य-

बीमा धारकों को उचित और सुरक्षित व्यापारिक हितों की रक्षा करना;

बीमा उद्योग (वार्षिक भत्तों और सेवा निवृत्ति भुगतान सहित) के त्वरित और क्रमबद्ध वृद्धि के बारे में जानने, जन-मानस के लाभ तथा अर्थव्यवस्था के वृद्धि में तेज़ी हेतु दीर्घावधिक कोष प्रदान करना;

इसे नियंत्रित करने वालों को ईमानदारी, वित्तीय सुदृढ़ता, निष्पक्ष व्यापार और क्षमता के उच्च मानकों को निर्धारित करना, बढ़ावा देना, जाँच करना और उन्हें लागू करना;

वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने, बीमा धोखाधड़ी और अन्य दुर्भावनाओं को रोकने और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना;

बीमा से निपटने वाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यवस्थित आचरण को बढ़ावा देने तथा बाज़ार के खिलाड़ियों के मध्य वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानकों को लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना तंत्र का निर्माण करना;

जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त या अप्रभावी रूप से लागू होते हैं, उन पर कार्रवाई करना;

विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग के दिन-प्रतिदिन की कार्य-शैली में आत्म-नियमन की अधिकतम मात्रा समायोजित करना।

कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शब्द

- **देय खाते-** सभी अवैतनिक अल्पकालिक (12 महीने से कम) चालान, लेखा-पत्र (बिल) और अन्य देनदारियों का रिकॉर्ड। देय खातों के उदाहरणों में वस्तु या सेवाओं के लिए चालान, उपयोगिताओं के बिल और देय कर भुगतान शामिल हैं।
- **प्राप्य खाते-** ग्राहकों से सभी अल्पकालिक खातों (12 महीने से कम) का रिकॉर्ड, जिन्हें आपके द्वारा बेचा गया है लेकिन अभी भुगतान नहीं किया गया है। इन ग्राहकों को उधारदाता कहा जाता है और सामान्यतः एक व्यवसाय द्वारा चालान किया जाता है।
- **क्रमिक लेखांकन-** एक लेखा प्रणाली जो उस समय होने वाले हस्तांतरण को रिकॉर्ड करती है, चाहे वह भुगतान अब हो या भविष्य में हो।
- **ऋण परिशोधन-** यह समय की अवधि में साख और बौद्धिक संपदा जैसी परिसंपत्तियों को छुपाने की प्रक्रिया है।
- **परिसंपत्ति-** समान जो आपके पास हैं। ये नकद हो सकते हैं या जिसे आप नकदी में परिवर्तित कर सकें, जैसे कि संपत्ति, वाहन और वस्तु-सूची।
- **लेखा-परीक्षा-** आपके वित्तीय रिकॉर्ड पर एक लेखा परीक्षक या कर अधिकारी द्वारा जाँच कि एक व्यक्ति का खाता सब कुछ सही ढंग से है।
- **तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)-** आपकी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची और सकल परिसंपत्तियों की गणना करना है।
- **गुब्बारा भुगतान-** ऋण समझौते के कारण एकमुश्त भुगतान। बड़े अंतिम 'गुब्बारा भुगतान' वाले ऋणों में ऋण की अवधि में नियमित पुनर्भुगतान होता है।
- **बैंक सुलह -** एक क्रॉस-चेक, जो सम्बन्धित बैंक विवरण से आपके नकद-खाते में धन को सुनिश्चित करने लिए मिलान करना।
- **दिवालिया-** जब कोई अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सकता है और अपने लेनदारों के साथ एक समझौते तक पहुँचने में सक्षम नहीं है।
- **तल-चिहन(बेंचमार्किंग)-** यह आपके उद्योग में आपके व्यवसाय की समान व्यवसायों से तुलना करने की प्रक्रिया है।
- **विक्रय-बिल-** संपत्ति या अन्य परिसंपत्तियों की क्रय के लिए एक कानूनी दस्तावेज़, जो क्रय का विवरण देता है, यह कहाँ हुआ और कितना हुआ।
- **बूटस्ट्रैपिंग-** जहाँ एक व्यवसाय, शुद्ध रूप से व्यक्तिगत वित्त और व्यवसाय से राजस्व के माध्यम से अपनी वृद्धि को कोष का भुगतान करता है।
- **संतुलन स्तर बिंदु (ब्रेक-सम पॉइंट)-** सटीक बिंदु, जब किसी व्यवसाय की आय उसके व्ययों के समान होती है।

- **बजट-** नियत अवधि के लिए नियोजित राजस्व और व्यय की एक सूची।
- **पूँजी-** इसे मुद्रा के रूप में धन या व्यवसाय के स्वामित्व के रूप में संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **पूँजीगत लागत-** भौतिक वस्तुओं जैसे- संयंत्र, उपकरण, भवन या भूमि का एक ठोस क्रय।
- **पूँजीगत लाभ-** वह राशि जो किसी परिसंपत्ति को उसके मूल क्रय मूल्य से ऊपर बेचने पर प्राप्त होती है।
- **पूँजीगत वृद्धि-** किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि।
- **नकद -** मांग पर उपलब्ध सभी धन, जिसमें बैंक नोट और सिक्के, फुटकर रोकड़, कुछ चेक, और बचत या ऋण खातों में धन शामिल हैं।
- **नकदी प्रवाह-** किसी व्यवसाय के अन्दर और बाहर होने वाला वास्तविक नकदी प्रवाह की माप।
- **खातों का लेखा-चित्र-** एक व्यवसाय के खातों का एक सूचकांक उपयोग हस्तांतरण को वर्गीकृत करने के लिए करना। प्रत्येक खाता एक प्रकार के हस्तांतरण को दर्शाता है, जैसे- परिसंपत्ति, देयता, मालिक की हिस्सेदारी, आय और व्यय।
- **चल सम्पत्ति बंधक-** यह एक किराया-क्रय समझौते के समान है, यद्यपि व्यवसाय का स्वामित्व शुरू से ही संपत्ति पर होता है। चल संपत्ति बंधक को नियमित रूप से चल रहे भुगतान की आवश्यकता होती है और सामान्यतः अंतिम 'गुब्बारा' भुगतान के माध्यम से भुगतान को कम करने का विकल्प प्रदान करता है।
- **आकस्मिक देयता-** एक देयता जहाँ भुगतान केवल तभी किया जाता है, जब कोई विशेष घटना या परिस्थिति हो।
- **बिक्री वस्तुओं की लागत -** यह एक वस्तु के उत्पादन या सेवा देने की कुल प्रत्यक्ष लागत है।
- **ऋण-** जब एक ग्राहक एक वस्तु या सेवा का क्रय बाद की तिथि में भुगतान करने के वायदे के साथ करता है, उसके लिए प्रयुक्त उधार शब्द। यह खाता आपूर्तिकर्ता, दुकानदार ऋण कार्ड या बैंक ऋण कार्ड के साथ हो सकता है।
- **ऋणदाता-** एक व्यक्ति/व्यवसाय, जो आपको एक वस्तु या सेवा खरीदने की अनुमति बाद की तिथि में भुगतान करने के वायदे के साथ देता है। एक लेनदार वह भी होता है जिसे आप ऋण देते हैं, जैसे कर्जदार या आपूर्तिकर्ता।
- **ऋण सीमा-** एक डॉलर की राशि जो आप क्रेडिट कार्ड या ऋण के लिए दी गई अधिकतम उधार राशि से अधिक नहीं हो सकता।
- **ऋण रेटिंग (क्रेडिट रेटिंग) -** किसी व्यक्ति या व्यवसाय की उसके ऋण इतिहास के आधार पर लागू की गई रैंकिंग, जो ऋण चुकाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।
- **वर्तमान परिसंपत्ति-** एक परिसम्पत्ति जो नकदी या किसी अन्य में हो, जिसे आप 12 महीनों के अन्दर नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं।
- **वर्तमान देयता -** एक देयता जिसकी भुगतान अवधि 12 महीनों के अन्दर होती है।

- **ऋज-** कोई भी धनराशि, जिसे आपको बिल, ऋण चुकौती और आयकर सहित चुकानी पड़ती है।
- **ऋण समेकन-** कम ब्याज दर प्राप्त करने या शुल्क कम करने के उद्देश्यों से कई ऋणों या अन्य ऋणों को एक में मिलाने की प्रक्रिया।
- **ऋण वित्त-** एक बाहरी ऋणदाता द्वारा प्रदान किया गया धन। जैसे- बैंक या भवन-निर्माण सोसायटी।
- **मूल्यहास-** एक समयावधि में किसी परिसंपत्ति को ऑफसेट करने की प्रक्रिया। आप परिसंपत्ति की लागत का फैलाव उसके उपयोगी जीवन में किसी परिसंपत्ति के मूल्यहास कर सकते हैं।
- **संवितरण-** व्यवसाय पर व्यय किया गया धन।
- **निकासी-** व्यवसायिक खाते से व्यक्तिगत व्यय का भुगतान।
- **भारिता-** एक भारिता परिसंपत्ति वह है, जिसे वर्तमान में उधारी की सुरक्षा या जमानत के रूप में आगे रखा जाता है।
- **हिस्सेदारी (इक्विटी)-** व्यवसाय में स्वामित्व ब्याज का मूल्य, परिसंपत्तियों से देनदारियों में कटौती करके गणना की जाती है।
- **वित्त हिस्सेदारी-** व्यवसाय के अंश स्वामित्व के बदले किसी व्यवसाय को दिया गया धन। यह व्यवसाय के मालिकों, मित्रों, परिवार या व्यवसाय जैसे निवेशकों द्वारा निवेश किया गया धन हो सकता है।
- **अचल संपत्ति-** एक भौतिक संपत्ति जो एक व्यवसाय चलाने में उपयोग की जाती है।
- **निश्चित लागत-** एक लागत जो एक अच्छी या सेवा के उत्पादन का हिस्सा नहीं है।
- **निश्चित ब्याज दर -** जब ऋण की ब्याज दर, ऋण की अवधि या सहमत समयावधि के लिए समान रहती है।
- **फ्लोट-** जब कोई निजी कम्पनी पहली बार जनता को कम्पनी में शेयर प्रदान करती है। **आरंभिक सार्वजनिक निर्गम** देखें।
- **सकल आय -** आपके द्वारा व्ययों में कटौती करने से पहले किसी व्यवसाय द्वारा अर्जित कुल धन।
- **सकल लाभ-बिक्री और बिक्री करने की प्रत्यक्ष लागत के मध्य का अंतर ।**
- **आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO)-** जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में शेयरों को आम जनता को बेचने का प्रस्ताव देती है। इसे शेयर बाजार में फ्लोटिंग के रूप में भी जाना जाता है।
- **दिवालिया -** एक व्यवसाय या कम्पनी तब दिवालिया होती है, जब वह अपने देय ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है।
- **अमूर्त संपत्ति-** बिना किसी निश्चित मूल्य वाली गैर-भौतिक परिसंपत्ति, जैसे- साख और बौद्धिक संपदा अधिकार।
- **ब्याज-** एक ऋण पर धन उधार लेने की लागत या एक ब्याज वाले खाते पर अर्जित धन।

- **ब्याज़ दर-** एक प्रतिशत जिसका उपयोग उधारी धन या आपके द्वारा अर्जित की गई धनराशि की गणना के लिए किया जाता है। दरें उत्पाद-दर-उत्पाद बदलती रहती हैं और सामान्यतः ऋण का जोखिम जितना अधिक होता है, ब्याज़ दर उतनी ही अधिक होती है। दरें स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती हैं।
- **निवेश-** धनार्जन के उद्देश्य से एक परिसंपत्ति का क्रय, जैसे- शेयर या संपत्ति।
- **देयता-** कोई वित्तीय व्यय या बकाया धनराशि।
- **ऋण-रेखा** एक उधारकर्ता एक अनुमोदित सीमा तक खाते से धन निकासी की अनुमति देता है।
- **परिसमापन-** एक दिवालिया कम्पनी को बंद करने की प्रक्रिया।
- **तरलता-** आप कितनी जल्दी परिसंपत्तियों को नकदी में बदल सकते हैं।
- **ऋण-** एक वित्त समझौता जहाँ एक व्यवसायी धन उधार लेता है और एक निश्चित समयावधि के अंदर किस्तों (ब्याज़ ज़मा) में वापस भुगतान करता है।
- **मूल्य अनुपात के लिए ऋण (LVR) -** आपके द्वारा क्रय की गई संपत्ति या परिसंपत्ति के बाज़ार मूल्य के प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई आपकी ऋण राशि। यदि ऋण चूक में जाता है, तो वे ऋणदाता को ऋण धनराशि को पाने में सहायता करते हैं।
- **परिपक्वता तिथि -** जब ऋण की अवधि समाप्त हो जाती है, और सभी बकाया मूलधन और ब्याज़ भुगतान देय होते हैं।
- **सकल संपत्ति** (सकल मूल्य, स्वामी की हिस्सेदारी या शेयरधारक की हिस्सेदारी के रूप में भी जानी जाती है) - सकल परिसंपत्ति में से कुल देनदारियों की कटौती।
- **सकल आय-** कर और अन्य कटौतियों के बाद एक व्यवसायी द्वारा अर्जित कुल धन।
- **सकल लाभ-** कुल सकल लाभ में से सभी व्यावसायिक व्ययों की कटौती।
- **अधिविकर्ष सुविधा-** एक वित्त व्यवस्था जहाँ एक ऋणदाता एक व्यवसायी को खाते के शेष से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देता है।
- **आहरित खाता-** एक ऋण खाता, जो अपनी ऋण सीमा या उस बैंक खाते को पार कर चुका है, जो शेष धनराशि से अधिक है।
- **रसीदें-** भुगतान की पुष्टि करने और वस्तु या सेवा की बिक्री की पुष्टि करने के लिए एक ग्राहक को दिया गया एक दस्तावेज़।
- **पुनर्वित्त-** जब एक नया ऋण मौजूदा की जगह भुगतान करने में सहायता करता है। पुनर्वित्त के कारणों में शामिल हैं: मूल ऋण को दीर्घावधि में विस्तारित करना, शुल्क या ब्याज़ दरों को कम करना, बैंकों को बंद करना, या एक निश्चित से परिवर्तनीय ऋण में स्थानांतरित करना।
- **पुनर्खरीद-** चूक रूप से ऋण का भुगतान करने के उद्देश्य से संपत्ति/परिसंपत्ति का स्वामित्व लेने वाले बैंक या अन्य ऋणदाता की प्रक्रिया।

- **निवेश पर वापसी (ROI)** - गणना की प्रक्रिया, जो स्वामियों/शेयरधारकों से मूल इक्विटी से लाभ पाने में कितना कुशल है। यह आपके द्वारा व्यवसाय में निवेश किए गए धन के लाभ (वापसी) के बारे में सोचने की एक विधि है। आरओआई की गणना करने के लिए, निवेश की लागत से लाभ (सकल लाभ) को विभाजित किया जाता है। आरओआई तब प्रतिशत या अनुपात बन जाता है।
- **राजस्व-** व्यय, कर और अन्य कटौती से पहले अर्जित की गई धनराशि।
- **सुरक्षा-** संपत्ति या परिसंपत्तियाँ जो एक ऋणदाता का स्वामित्व ले सकता है, जब ऋण का पुनर्भुगतान नहीं होता है।
- **भण्डार (स्टॉक)-** एक व्यवसायी के पास अभी उपलब्ध वास्तविक वस्तु या सामग्री।
- **कर चालान-** एक निश्चित मूल्य पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक चालान। जीएसटी ऋण का दावा करते समय आपको एक वैध कर चालान की आवश्यकता होती है।
- **परिवर्तनीय ब्याज़ दर-** जब ऋण की ब्याज़ दर ऋण की अवधि के लिए बाज़ार की स्थितियों के साथ बदलती है।
- **परिवर्तनीय लागत-** एक लागत जो उत्पादित वस्तुओं की संख्या या उत्पादों या सेवा की माँग के आधार पर बदलती है।
- **उद्यम पूँजी-** एक स्टार्ट-अप व्यवसाय में एक निवेश, जिसमें उत्कृष्ट वृद्धि की संभावनाएं हैं। हालांकि, इसकी पूँजी बाज़ारों तक पहुँच नहीं है क्योंकि यह एक निजी कम्पनी है।

शेयर बाज़ार के कुछ शब्द

- **BOURSES** शेयर बाज़ार के लिए एक और शब्द है BULLS और BEARS - यह शब्द जानवरों को नहीं बल्कि निवेशकों की बाज़ार भावना को दर्शाता है। एक बुलिश चरण आशावाद की अवधि को दर्शाता है और बोरिस पर निराशावाद की अवधि के लिए एक बेयरिश चरण।
- **BADLA-** यह विशेष रूप से बीएसई में निपटान के एक अग्रगामी प्रणाली को संदर्भित करता है। यह एक सुविधा है, जो एक निपटान अवधि से अन्य में हस्तांतरण के वितरण या भुगतान को स्थगित करने की अनुमति देता है।
- **ODD LOT व्यापार-** 100 स्टॉक या उससे कम के गुणकों में व्यापार।
- **PENNY STOCKS-** ये ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिनका व्यापार सट्टा में योगदान देता है।

विभिन्न वित्तीय संस्थान: तथ्य

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान		
वित्तीय संस्थान	मुख्यालय	स्थापित वर्ष
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)	मुम्बई	1935
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	लखनऊ	1990
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)	मुम्बई	1992
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	मुम्बई	1982
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)	मुम्बई	1982
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)	नई दिल्ली	1988
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)	नई दिल्ली	1948
भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC)	मुम्बई	1956
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)	मुम्बई	1957
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)	बैंगलुरु	1995
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)	मुम्बई	2008
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	हैदराबाद	1999
ऋण सूचना ब्यूरो (इण्डिया) लिमिटेड	मुम्बई	2000
भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL)	मुम्बई	1987
भारतीय सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड(ICRA)	गुरुग्राम	1991
भारतीय कृषि वित्त निगम लिमिटेड	मुम्बई	1968
जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम(DICGC)	मुम्बई	1978
ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड(CARE)	मुम्बई	1993
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड (ARCIL)	मुम्बई	2002
राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL)	मुम्बई	1996
बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद	1996
दिवालियापन और भारत के दिवालियापन बोर्ड(IBBI)	नई दिल्ली	2016
भारतीय म्यूचुअल फंड्स संघ (AMFI)	मुम्बई	1995

केंद्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (CDSL)	मुम्बई	1999
राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (NIBM)	पुणे	1969
भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)	मुम्बई	2001
भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (IIFCL)	नई दिल्ली	2006

<i>अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान</i>		
वित्तीय संस्थान	मुख्यालय	स्थापित वर्ष
पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)	वाशिंगटन डीसी, अमेरिका	1944
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	वाशिंगटन डीसी, अमेरिका	1945
यूरोपीय निवेश बैंक (EIB)	किरचबर्ग, लक्समबर्ग	1958
एशियाई विकास बैंक (ADB)	मनिला, फिलीपींस	1966
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक(AIIB)	बीजिंग, चीन	2016
पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक (EBRD)	लंदन, यूके	1991
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	शंघाई, चीन	2014
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक (BIS)	बेसल, स्विट्जरलैंड	1930
अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक (IIB)	बुडापेस्ट, हंगरी	1970
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)	वाशिंगटन डीसी, अमेरिका	1956
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि(IFAD)	रोम, इटली	1977
वैश्वव्यापीअंतरबैंक वित्त दूरसंचार संघ (SWIFT)	ला हलपे, बेल्जियम	1973
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन(OECD)	पेरिस, फ्रांस	1961
एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UNESCAP)	बैंकाक, थाईलैंड	1947
विश्व आर्थिक मंच (WEF)	जिनेवा, स्विट्जरलैंड	1971

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)	वाशिंगटन डीसी, अमेरिका	1960
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी	वाशिंगटन डीसी, अमेरिका	1988
निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	वाशिंगटन डीसी, अमेरिका	1966

FREE Ebooks

[Download Now](#)

Current Affairs

[Explore Now](#)

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

[Web](#)

[APP](#)

BLOG

Your one-stop destination
for all exam related
information & preparation
resources.

[Explore Now](#)

FORUM

Interact with peers & experts,
exchange scores
& improve your preparation.

[Explore Now](#)

